न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 547 / 2016

श्री अब्दुल वहीद पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहम्मद इसाक पुत्र फतेह मोहम्द जाति मुसलमान निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।
2. अध्यक्ष नगरपालिका सरवाड़ जिला अजमेर।
3. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सरवाड़ जिला अजमेर।

– अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी.

वकील 1. श्री सज्जन कुमार चौधरी प्रार्थी।

निर्णय दिनांक 12.12.2019

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया है। यह है कि प्रार्थी रिहायशी मकान नगर सरवाड़ के वार्ड नं. 11 किला का चौक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी मय बाल बच्चों के निवास करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी का मकान एक दूसरे के लगवा है। दोनों ही मकानों के पूर्वी ओर 3½ फिट चौड़ी सरकारी गली है। उक्त गली में होकर प्रार्थी का आवागमन है तथा उसके मकान का बरसाती पानी व अन्य पानी का बहाव होता है जो मुख्य सड़के के लगवा सरकारी नाली में मिलता है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने मकान निर्माण कार्य चालू किया हुआ है जिससे अप्रार्थी सं. के मकान के पूर्वी ओर जो सरकारी गली है वह अप्रार्थी सं. 2 व 3 के स्वामित्व की है। उसमें अप्रार्थी सं. 1 ने मलवा डालकर पानी की निकासी व आवागमन को अवरूद्ध कर दिया है। उक्त स्थिति में प्रार्थी के मकान का बरसाती पानी व अन्य पानी की निकासी बिल्कुल बंद हो गई। जिससे समस्त पानी प्रार्थी के मकान के पूर्वी ओर इकठ्ठा हो गया है एवं जिससे भयंकर बीमारियों का होने का खतरा है। अप्रार्थी संख्या 1 को सरकारी गली को अवरूद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को कई बार उक्त अवरोध को हटाने हेतु कहा पर अप्रार्थी को कोई परवाह नहीं है बल्कि अप्रार्थी सं. 1 व उसके परिवारजन प्रार्थी के साथ अभद्रता से पेश आये तथा प्रार्थी को धमकाया कि अगर हमारे विरूद्ध कोई भी कार्यवाही की तो झूठा केस लगाकर बर्बाद कर देगें तथा मारपीट भी करेगें। जबकि पूर्व में भी अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी के मध्य विवाद होने से दिनांक 12.03.2016 को लिखित में राजीनामा भी हुआ है फिर भी अप्रार्थी सं. 1 इससे मुकर रहे है। अप्रार्थी सं. 1 पेशे

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

से अध्यापक है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के उक्त कृत्य हेतु दिनांक 13.06.2016 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 से भी निवेदन किया था लेकिन अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अप्रार्थी सं. 2 व 3 का दायित्व है कि सार्वजनिक रास्ते/गली में किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति अवरोध कारित करे एवं न्यूसेन्स कारित करे तो उसे तुरंत हटाया जावे परंतु अप्रार्थी सं. 2 व 3 अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है। अप्रार्थी सं. 1 का विधि विरूद्ध यह कृत्य अवैध व कानून की मंशा के विपरीत है। उक्त कृत्य हेतु पूर्व में जरिये अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 को नोटिस भी दिया गया था जो अप्रार्थीगण को तामील भी हो चुका है परंतु फिर भी नोटिस अवधि समाप्ति पर भी अप्रार्थीगण ने सार्वजनिक गली में उक्त अवरोध को नहीं हटाया है। यह कि उक्त इस्तागासा माननीय न्यायालय के श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। तहसीलदार सरवाड़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट में नजरी नक्शें अनुसार प्रार्थी के मकान के सामने अंकित बिन्दु सं. E से F के रास्ते की भूमि पर मिट्टी डालकर ABEF हिस्से से अधिक ऊपर कर रखा है। जिससे पानी की आवाजाही बाधित है व अप्राथ्री सं. 1 के मकान के सामने जिसे मिट्टी डालकर ऊँचा किया है व कांटो की बाड लगाकर रास्ते को बंद कर रखा है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मिट्टी डालकर व कांटो की बाड़ लगाकर पानी की आव पासी व रास्ते को अवरूद्ध कर रखा है। जिससे पब्लिक न्यूसेन्स उत्पन्न हो रहा है। अतः अप्रार्थी सं. 1 को आदेशित किया जाता हे कि रास्ते की मिट्टी व कांटो की बाड को हटा कर पानी की निकासी को सुचारू रूप से होने के व आम रास्ते को खुलासा करे। अप्रार्थी सं. 3 को आदेशित किया जाता है कि रास्ते की मिट्टी व कांटो की बाड़ को हटा कर रास्ते व पानी की निकासी सुनश्चित करने हेतु अप्रार्थी सं. 1 को नोटिस जारी कर आदेश की पालना कराये यदि अप्रार्थी द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जाती है तो अप्रार्थी सं. 3 आदेशों की पालना करावें व इस कार्य हेतु आवश्यक शुल्क अप्रार्थी सं. 1 से प्राप्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(तारामति वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.02.12 14:08:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: